फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री गोपालसिंह पुत्र श्री तिलोकसिंह रावत निवासी नालोई लालपुरा, तहसील भीम (राज0)
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सेवा गांरटी प्रथम अपील अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी, भीम
पदाभिहित अधिकारी–लोक सेवा गांरटी तहसीलदार, भीम

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 **पत्रावली संख्या 01/2022**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 13.02.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 अंतर्गत वांछित सूचना पदाभिहित अधिकारी–लोक सेवा गांरटी तहसीलदार, भीम से प्राप्त नहीं होने से सूचना प्राप्ति हेतु प्रथम अपील लोक सेवा गांरटी अपील अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम एवं द्वितीय अपील इस कार्यालय में प्रस्तुत करने से द्वितीय अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पदाभिहित अधिकारी–लोक सेवा गांरटी तहसीलदार, भीम एवं लोक सेवा गांरटी प्रथम अपील अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सेवा गांरटी प्रथम अपील अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा जरिये पत्रांक लो.से.गां.अ.प्रा./2023/89 दिनांक 02.02.2023 के संलग्न पदाभिहित अधिकारी–लोक सेवा गांरटी तहसीलदार, भीम द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 24.01.2023 से उपलब्ध करवाई जा चुकी है। पदाभिहित अधिकारी–लोक सेवा गांरटी तहसीलदार, भीम एवं लोक सेवा गांरटी प्रथम अपील अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील का अवलोकन किया गया। लोक सेवा गांरटी प्रथम अपील अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पदाभिहित अधिकारी–लोक सेवा गांरटी तहसीलदार,	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भीम की रिपोर्ट दिनांक 24.01.2023 अनुसार अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, पदाभिहित अधिकारी–लोक सेवा गांरटी तहसीलदार, भीम एवं लोक सेवा गांरटी प्रथम अपील अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सेवा गांरटी द्वितीय अपील अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)